न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 31 / 2019
दायर दिनांक :— 03 / 05 / 2019
निर्णय दिनांक :— 24 / 01 / 2020

अनवान

श्रीमती पुष्पा पुत्री वेणीराम पत्नि चन्द्रशेखर जाति ब्राहम्ण ,उम्र 63 वर्ष निवासी सिन्देसर खुर्द हाल निवासी कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

—अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल पिता वेणीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 70 वर्ष, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. शंकरलाल पिता वेणीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 60 वर्ष, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. जानी बाई पुत्री वेणीराम पत्नि खेमराज जाति दवे उम्र 68 वर्ष, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. शांती देवी पुत्री वेणीराम पत्नि उदयलाल जाति जोशी उम्र 65 वर्ष, निवासी सिन्देसर खुर्द हाल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. लेहरी बाई पत्नि वेणीराम पत्नि खेमराज जाति दवे उम्र 90 वर्ष, निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रेलमगरा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 22 / 12 / 2013

उपस्थित :—
1—श्री मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द पटवार हल्का राजपुरा का नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 22.12.2013 को रेस्पो संख्या एक, दो व पांच के नाम पर

अपीलाण्ट व रेस्पो0 संख्या 3 व 4 को बिना सुने व सुचित किये स्वीकृत करने से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 10/04/2019 को नामान्तकरण की नकल निकलवाई तथा उसके आधार पर नामान्तकरण कि सारी स्थिति की जानकारी होते ही उक्त अपील प्रस्तुत की गई । जानकारी के अभाव में जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः धारा–5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता की मयाद के प्रश्न पर बहस सुनी गयी । रेस्पोंडेंट की ओर से ऐसा कोई शपथ पत्र या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो सके कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी की दिनांक से पूर्व हो गई थी । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 22.12.2013 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पांच तक एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व. श्री वेणीराम पिता बालकिशन के विधिक वारिसान् हैं जिनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैं–

वेणीराम पिता बालकिशन

|

————————————————————————————————————

| | | | | |

भंवरलाल शंकरलाल जानी बाई शांता देवी पुष्पा लेहरीबाई

पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री पुत्री पत्नि

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन व चार स्व. श्री वेणीराम की पुत्रीयां व एक व दो पुत्र तथा रेस्पो0 संख्या पॉच पत्नि हैं। स्वं0 श्री वेणीराम पिता बालकिशन ब्राहम्ण के नाम गांव सिन्देसरखुर्द में निम्नालिखित कृषि भूमियां स्थित रहीं है–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
307	446	2–16
	448	0–06

	449	0—15
	450	0—16
	452	2—05
कुल किता पॉच कुल रकबा 6—18 छः बिघा अठारह बिस्वा		
308	447	0—03 आ0चा0
कुल किता एक कुल रकबा 0—03 तीन बिस्वा किस्म आ0चा0		

स्व0 वेणीराम का देहान्त दिनांक 05/06/1993 में हो गया था तथा उनकी मृत्यू पश्चात् उनके विधिक वारिसान् का उनकी भूमि पर सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा हैं। स्व0 वेणीराम की मृत्यु के पश्चात् सभी आराजीयातों में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक से पॉच तक सभी सहखातेदार होकर इनमें अपीलाण्ट का 1/6 व शेष रेस्पोडेन्ट एक से लगाकर पॉच तक सभी का 1/6—1/6 हक व हिस्सा हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी स्व0 वेणीराम के नाम पर अंकित थी जो रेस्पो0 संख्या एक, दो, व पॉच ने स्व0 वेणीराम की मृत्यू के पश्चात नामान्तकरण संख्या 400 से अपने नाम पर मिलीभगत कर 1/3—1/3 हिस्से से करवाली तथा अपीलान्ट की बेजानकारी में अपीलान्ट को बिना सुने एवं सुचित किये पारित करवा लिया गया जो काबिल खारिज होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा फैसल नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 22/12/2013 को निरस्त किया जाकर स्व0 वेणीराम के विधिक वारिसान् के नाम पर नामान्तकरण खुलवाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त नामान्तकरण को निरस्त नहीं किया जावें। रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से निवेदन किया है कि रेस्पो0 संख्या एक व दो अपीलान्ट को 1 बिघा 3 विस्वा जमीन दे रहें हैं। तथा अपीलान्ट से वाद उठा लेने तथा नामान्तरण निरस्त नहीं कराने का निवेदन किया हैं। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने भी अपीलान्ट को 1/6 हिस्सा 1 बिघा 3 बिस्वा भूमि देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया। उनके द्वारा कहा गया कि उनके पिता श्री वेणीराम पालीवाल पिता बालकृष्ण पालीवाल की मृत्यू दिनांक 05.06.1993 में हुई थी। विरासती नामान्तरण की प्रक्रिया के तहसीलदार रेलमगरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 22.12.1993 पारित कर पत्नी व दोनों लडकों को वारिसान मान कर खोला वह सही था। क्यों कि 1993 में पुत्रियों के नाम कहीं भी नामान्तरण में नही लगता था। तहसीलदार से हमारे द्वारा या मेरी माता द्वारा कोई मिलीभगत नहीं की गई थी। सजरे के अनुसार माता दोनो भाई तीनों बहिनें विधिक वारिसान का समान हक व हिस्सा स्व0 श्री वेणीराम पिता बालकिशन ब्रहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द अपील में दर्शाई गई कृषि भूमि 6 बिघा 18 बिस्वा में बराबर बराबर 1/6 हिस्सा बनता हैं। इसको हम स्वीकार करतें हैं। तथा हम दोनों भाई अपने नाम दर्ज पिता की भूमि में सें खाता संख्या 307 नामान्तरण संख्या 927 दिनांक 24/6/2016 आपसी विभाजन में से पारिवारिक समझोता व राजीनामा प्रस्तुत कर देनें सहमत हैं। तथा हम वाद इसलिए नहीं लडना चाहतें है कि प्रार्थी पुष्पा पिता वेणीराम हमारी सगी बहन हैं। भाई व बहन के रिश्ते को मध्यनजर रखते हुए हम अदालत का व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहतें हैं, क्यों कि बहन का 1/6 हिस्सा

वाद कर हासिल करना चाहती है। वह हम दोनों भाई वर्णित भूमि में से खुशी से आपसी समझोता कर राजीनामा प्रस्तुत कर 1 बिघा 3 विश्वा जमीन देने को तैयार है। श्रीमान द्वारा यदि नामान्तरण खारीज कर पुनः खोलने का आदेश दिया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया पुनः दोहराई जानी पडेगी उसमें 1/6 हिस्सा सभी के नाम दर्ज होगा। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि बहन पुष्पा को आन0 452 क्षैत्रफल 2.0500 बिघा में से 1/6 हिस्सा देने को सहमत हैं। अन्य बहने जानी पिता वेणीराम, शान्ता पिता वेणीराम को भी हम दोनों भाईयों के आपसी बटवारें में से जो बडा खसरा होगा उसमें से 1/6 हिस्सा दोनों को भूमि देने के लिए तैयार है। अतः नामान्तकरण खारिज नहीं करवानें की कृपा करावें।

बहस के दौरान रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित । अपीलाण्ट की एक तरफा बहस सुनी गई । रेस्पोडेण्ट के जबाब एवं अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने जबाब में स्वीकार किया हैं कि सजरे के अनुसार माता, दोनो भाई तीनों बहिनें विधिक वारिसान का समान हक व हिस्सा स्व0 श्री वेणीराम पिता बालकिशन ब्रहम्ण निवासी सिन्देसर खुर्द अपील में दर्शाई गई कृषि भूमि 6 बिघा 18 बिस्वा में बराबर बराबर 1/6 हिस्सा बनता हैं। इसको हम स्वीकार करतें हैं। बहस एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मै यह उचित समझता हूॅ कि स्व0 वेणीराम पिता बालकिशन की मृत्यु के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जाचं किये एवं बिना सुने नामान्तरकरण खोला गया है। जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रेलमगरा का राजस्व ग्राम सिन्देसर खुर्द का नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 22/12/2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक श्री वेणीराम के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर तथा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करतें हुए पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.01.24 15:15:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: